

8.6.16

आदेश से रीट

पनावली कोर्ट केम्प अराजिया पर
पेरा मूल वाद का निर्णय होने से
साधना - पत्र इलाशील किया जाता
है।

पनावली पेशवा गुमार होकर
नाम्बर से काम है।

(उम्पेद सिंह राजावत)

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पब्लिक सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा

पनावली
कोर्ट-पत्र